न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-37RAAJodhpur2024-07RTA223 chatarsingh Vs Bhawanisingh etc

चतरसिंह पुत्र हीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी- बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भवानीसिंह पुत्र पुंजराज सिंह
2. सुगन कंवर पत्नी पुंजराज सिंह
   जातियान् राजपूत, निवासीगण- बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 34/2015 भवानीसिंह बनाम सुगन कंवर इत्यादि

उपस्थित-

श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री हरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 11 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 34/2015 अनवान भवानीसिंह बनाम सुगन कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 42 रकबा 31.16 बीघा ग्राम हिम्मत नगर, पटवारी हल्का बेलवा राणाजी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसील बालेसर के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2024 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उभय पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.07.2022 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 42 रकबा 31.16 बीघा ग्राम हिम्मतनगर के संबंध में विचाराधीन दावे में वादी एवं प्रतिवादीगण् ने राजीनामा कर लिया है। उभय पक्ष हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाड़ा पर सहमत है। बंट का हिस्सा भाखर के चिपता किया जावे। उक्त राजीनामा को उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है तथा राजीनामा पर उभय पक्ष के हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया, किंतु तहसीलदार द्वारा राजीनामा में वर्णित कथनों के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्तियॉ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव राजीनामा के विपरीत तैयार किया गया है तथा पक्षकारान् को भाखर के चिपते भूमि नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलांट द्वारा भाखर के खसरा नंबर अंकित नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा के विपरीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तैयार विधिविरुद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी जो विधिसम्मत नही होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार बालेसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा दिनांक 12 जुलाई 2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उभय पक्ष/वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 42 रकबा 31.16 बीघा ग्राम हिम्मतनगर के संबंध में विचाराधीन बंटवाड़े के दावे में उभय पक्ष द्वारा राजीनामा कर लिये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। उभय पक्ष द्वारा राजीनामा में स्वीकार किया गया है कि उभय पक्ष हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाड़ा पर सहमत है। बंट का हिस्सा भाखर के चिपता किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर खसरा नं. 42 रकबा 31.16 बीघा में राजीनामा में स्वीकारोंक्ति अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जे के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा साथ ही विभाजन नियमों की पालना निश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये गये है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार बालेसर द्वारा राजीनामा के तथ्यों के विपरीत विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकारान् को भाखर के चिपते भूमि नहीं दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट की ओर से तहसीलदार के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का निवेदन किया गया है, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ट संख्या 57 पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र से होती हैं

अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष भी आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई, जिसे विचारण न्यायालय भाखर के खसरा नंबर अंकित नहीं किये जाने के आधार पर खारिज कर राजीनामा के विपरीत तैयार राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 34/2015 अनवान भवानीसिंह बनाम सुगन कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2024 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह तहसीलदार बालेसर से माफिक राजीनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार बालेसर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर